Date: - 20/05 /2020.

Day: - Wednesday, Time: - 20:10 to 3:00

Class:- B.Ed. session (2018- 20) 2nd **year**. Subject: -**.** BCC-10 Creating an Inclusive School

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (कोठारी कमीशन) की संस्तुतिय

(RECOMMENDATION OF INDIAN EDUCATION COMMISSION (1964)

कोठारी शिक्षा आयोग ने इस बात पर बल दिया है शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट बालकों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर दिए जो निम्न है ---------

1. विकलांग बच्चों की शिक्षा (Education of Handicapped Children) ----------आयोग का विचार है कि देश में विकलांग बच्चों की शिक्षा की प्रगति दो प्रमुख कारणों- उपयुक्त शिक्षकों तथा वित्तीय साधनों का अभाव-- से अवरुद्ध। है इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में हमें अपना लक्ष्य 1986 ताक अंधो गूंगा आदि समस्त बालकों के 15 प्रतिशत भाग को शिक्षित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 5 प्रतिशत कम विकसित मस्तिष्क के बच्चों को शिक्षित करने की योजना बनाई जाए।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक जिले में विकलांग बच्चों के लिए कम से कम एक विद्यालय अवश्य स्थापित किया जाए।

2. प्राथमिक शिक्षा का प्रसार---- प्राथमिक शिक्षा स्तर पर 6 से14 आयु के बालकों हेतु अनिवार्य वह निशुल्क शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अधिक तेजी से प्राथमिक स्कूल खोले जाने तथा अपव्यय और अवरोधन की समस्या को रोकने का सुझाव दिया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी बच्चों को एक किमी की दूर के अंदर प्राथमिक व 3 किमी की दूरी के अंदर उच्च प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराई जाए तथा जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ने की स्थिति में नहीं है उन्हें किसी हस्त कार्य में निपुण बनाए जाने की आवश्यकता है।

पिछड़ी व अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोलने व मंदबुद्धि व विकलांग बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोलने का भी आयोग ने सुझाव दिया।

प्रतिभाशाली व विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति-1 निम्न प्राथमिक स्तर के सभी स्तरों पर छात्रवृत्ति दी जाए।

उच्चतर प्राथमिक स्तर पर 1975 76 तक 2.5 प्रतिशत प्रतिभाशाली बालकों को और 1985 86 तक 5 प्रतिशत विकलांग योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाये

शिक्षा के अवसरों की समानत

सन 1950 के पश्चात भारत में पूर्ण आजादी का प्रारंभ किया। इसके मुख्य उद्देश्य समानता स्वाधीनता भाईचारा तथा न्याय है। समानता' समनता के अवसर दर्शाती है।आजादी की व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक मनुष्य ,धनवान या निर्धन अथवा ऊंच- या निम्न वर्ण संबंधी बिना किसी भेदभाव या अंतर के सभी को समान अधिकार प्राप्त है तथा सभी ने समान रूप से जन्म लिया है यह सरकार का मुख्य कर्तव्य है कि समानता ऊंची नीची तथा सामाजिक भेदभावों को कम करने का प्रयास करें शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी को समान अधिकार है तथा पूर्ण आजादी है इसलिए सभी को मानसिक उत्थान के समान अवसर दिये गये इसके लिए समाज के अल्पसंख्यक ,पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जातियों के समुदाय को विशेष समानता तथा महत्व देने की आवश्यकता है। पहाड़ों पर रहने वाले नागरिक, पिछड़े क्षेत्रों एवं शुद्ध अंतरिक्ष क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है पुस्तकों की सहायता दोपहर माध्यान्ह का खाना फीस माफ की सुविधा निर्धन लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में निपूण बालकों को स्कूलों में मिलनी चाहिए प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने तथा उनके शिक्षा में आने वाली आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने की आवश्यकता है। ऐसे बालकों की शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा को दूर करने पर बल दिया जाये धनवान व्यक्ति तथा सामाजिक उत्थान में कार्यरत व्यक्तियों को ऐसे बालकों की शिक्षा में उदारतापूर्वक सहायता करनी चाहिये। सरकार को भी सभी संभव विधियों से सहायता करनी चाहिये लड़के तथा लड़कियों की शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए सब बालकों को व्यक्तिगत विकास करने का समान अधिकार है चाहे वह लड़के अथवा लड़कियों इस प्रकार के कार्यकलापों को देश के विभिन्न समुदायों के समाजिक तथा प्रजातांत्रिक प्रगति हेतु लंबी यात्रा तय करनी है और आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में विकास करना है

2. कुशाग्र बुद्धि व प्रतिमान छात्रों को विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृति दी जाये।